न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 06 / 2019

1 लालचन्द आयु 55 वर्ष पुत्र मुलाराम जाति बलाई निवासी भगेगा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।
2 उप स्वास्थ्य केन्द्र भगेगा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर जरिये उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना दिनांक 20.02.2013 जिसके आधार पर दिनांक 21.02.13 को उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने आंवटन आदेश बाबत भूमि खसरा नम्बर 573 / 595 रकबा 1.55 हैक्टेयर किस्म बजड मे से 0.10 हैक्टेयर भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र भगेगा हेतु भूमि आंवटित की पत्रावली संख्या 53 / 2013 अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

## –निर्णय–

दिनांकः– 16.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 53/2013 में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ग्राम भगेगा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर की तन की स्थित भूमि खसरा नम्बर 573/597 के 0.10 हैक्टेयर भूमि पर पुख्ता मकानात बनाकर व चारो तरफ पत्थरो की दीवार बनाकर मय परिवार आबाद है व वही अपीलांट अपने मवेशी रखता है। उक्त भूमि में अपीलांट के पुत्र राजेश कुमार के नाम से विधुत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन भी काफी समय से लिया हुआ है उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काफी लम्बे समय से निरन्तर होते हुये भी उक्त भूमि के सम्बंध में ग्राम पंचायत भगेगा पंचायत समिति नीमकाथाना ने अपनी बैठक दिनांक 05.01.2013 में उप स्वास्थ्य केन्द्र भगेगा के विस्तार इत्यादि के लिए खसरा नम्बर 573/595 रकबा 1.55 हैक्टेयर भूमि किस्म बंजड सिवाय चक मे से 0.10 हैक्टेयर भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र भगेगा को आंवटित किए जाने का प्रस्ताव संख्या 5 पारित किया और उक्त प्रस्ताव के साथ सरपंच ग्राम पंचायत भगेगा ने दिनांक 09.02.2013 को शिविर प्रभारी महोदय प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 को एक आवेदन उप स्वास्थ्य केन्द्र भगेगा के विस्तार हेतु भूमि आंवटन हेतु प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 19.02.2013 को श्रीमान तहसीलदार महोदय नीमकाथाना ने भूमि आंवटन बाबत मानक प्रस्ताव, नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, चैक लिस्ट मय ग्राम पंचायत के प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण पत्र, मय मूल पत्रावली अभिशंषा के श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना की सेवामें अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजे जाने का आदेश दिया जिस पर दिनांक 20.02.2013 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने तहसीलदार के प्रस्ताव का अवलोकन करना बताकर भूमि खसरा नम्बर 573/595 रकबा 1.55 हैक्टेयर किस्म बंजड मे से 0.10 हैक्टेयर भूमि उप

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

स्वास्थ्य केन्द्र भगेगा के लिए अवाप्त करने की स्वीकृति जारी कर दी जिसकी पालना में दिनांक 21.02.2013 को आंवटन आदेश जारी कर दिया जबकि उक्त आंवटन आदेश की पालना मे नामान्तरकरण भरा गया वह भूमि खसरा नम्बर 573/597 जिस पर अपीलांट का कब्जा है का स्वीकार किया जाकर खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 573/597 की रेस्पोडेंट संख्या 2 के हक में स्वीकार कर दी अत उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलांट की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने भूमि खसरा नम्बर 573/595 के सम्बंध में पटवारी हल्का व तहसीलदार नीमकाथाना से कोई कब्जे की रिपोर्ट लिए बिना व मौके पर काबिज अपीलांट को कोई नोटिस व सूचना दिए बिना व उसे अपना कथन प्रस्तुत करने का व सुनवाई का अवसर दिए बिना अपना आदेश जेर अपील प्राकृतिक न्याय व न्याय के सामान्य सिद्वान्तो के विरूद्व पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने राजस्थान भू राजस्व (स्कूलो, कॉलेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओ एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणर्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आंवटन) नियम 1963 के अन्तर्गत एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.14(1)राज–6/2005 पार्ट/39 दिनांक 30.11.2010 एंव 26.04.2011 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 573/595 रकबा 1.55 हैक्टेयर किस्म बजंड मे से 0.10 हैक्टेयर भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र भगेगा हेतु आवंटित की जबकि उक्त नियम 2 के अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 2 के हक में 0.10 हैक्टेयर भूमि कानूनन आंवटन योग्य न होते हुये भी योग्य अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी ने उक्त आंवटन नियमो को देखे बिना ही उक्त भूमि आंवटन करने में कानूनी गलती की है। आंवटित भूमि मौके पर न तो खाली भूमि थी और न ही उक्त भूमि पर आंवटन के बाद रेस्पोडेंट संख्या 2 को कोई कब्जा ही दिया गया और आंवटन आदेश की शर्तो के मुताबिक 6 माह के अन्दर भूमि निर्माण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कार्य शूरू किया जाकर कब्जा प्राप्त करने के दो वर्ष के अन्दर अन्दर पूर्ण कर लेने की शर्त थी जबकि उक्त आंवटन आदेश दिनांक 21.02.2013 से आज तक न तो मौके पर उप स्वास्थ्य केन्द्र भगेगा का कोई निर्माण शुरू हुआ न निर्माण पूर्ण हुआ बल्कि आज तक उप स्वास्थ्य केन्द्र भगेगा का आवंटन आदेश के मुताबिक कोई कब्जा नही हुआ और उक्त आंवटन आदेश दिनांक 21.02.2013 आंवटन आदेश की शर्तो के मुताबिक स्वतः ही निरस्त होने योग्य है। भूमि खसरा नम्बर 573/597 में अपीलांट के अलावा ओमप्रकाश लूनीवाल, हीरालाल गुर्जर, सुवाराम नारवाल के भी मकान बने हुये है व उनमें विधुत कनेक्शन भी लगा हुआ है और इस प्रकार आंवटित भूमि पर अपीलांट काफी वर्षो से निरन्तर काबिज होते हुये भी अपीलांट को बिना कोई नोटिस व सूचना दिये ग्राम पंचायत ने व्यक्तिगत रंजिश की वजह से गुपचुप में प्रस्ताव पारित कर उक्त भूमि को आंवटन करवाने की कार्यवाही की है जो न तो नियमानुसार की गई है और न ही आंवटन नियमो की पालना करकें किया गया है। आंवटित भूमि का जो नामान्तकरण खातेदारी दर्ज करने के सम्बंध में भरा गया है वह भूमि खसरा नम्बर 573/595 के स्थान पर भूमि खसरा नम्बर 573/597 का भरा गया है जिस पर अपीलांट काबिज चला आ रहा है। अतः आंवटन आदेश विरूद्व कानून होने से निरस्तनीय है। विद्वान अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया एवं न्यायहित में धारा 96 व धारा 5 का आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि ग्राम भगेगा में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आंवटन नही हुआ था इस पर विचारण न्यायालय ने पटवारी हल्का भगेगा से एवं ग्राम पंचायत भगेगा से आंवटन बाबत मानक प्रस्ताव, नक्ल जमाबन्दी, नकल नक्शा, चैक लिस्ट मय रिपोर्ट प्राप्त कर राजस्थान भू राजस्व (स्कूलो, कॉलेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओ एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणर्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आंवटन) नियम 1963 के अन्तर्गत एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
सीकर

जयपुर के पत्रांक प.14(1)राज–6/2005 पार्ट/39 दिनांक 30.11.2010 एंव 26.04.2011 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 573/595 रकबा 1.55 हैक्टेयर किस्म बजंड मे से 0.10 हैक्टेयर भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र भगेगा हेतु आवंटित की गई है। विवादित भूमि पर अपीलांट के कब्जे का कोई साक्ष्य नही है। विचारण न्यायालय द्वारा सिवाय चक काबिल काश्त बंजड जोहड़ मे से भूमि आंवटन करने में कोई विधिक अनियमितता नही की है। अपील सारहीन है अपील मियाद बाहर है अपीलांट प्रभावित पक्षकार नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम भगेगा में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आंवटन नही हुआ था इस पर विचारण न्यायालय ने पटवारी हल्का भगेगा से एवं ग्राम पंचायत भगेगा से आंवटन बाबत मानक प्रस्ताव, नक्ल जमाबन्दी, नकल नक्शा, चैक लिस्ट मय रिपोर्ट प्राप्त कर राजस्थान भू राजस्व (स्कूलो, कॉलेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओ एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणर्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आंवटन) नियम 1963 के अन्तर्गत एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प. 14(1)राज–6/2005 पार्ट/39 दिनांक 30.11.2010 एंव 26.04.2011 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 573/595 रकबा 1.55 हैक्टेयर किस्म बजंड मे से 0.10 हैक्टेयर भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र भगेगा हेतु आवंटित की गई है। विवादित भूमि पर अपीलांट के कब्जे का कोई साक्ष्य नही है। यदि कब्जा भी है तो केवल एक अतिक्रमी की हैसियत से है जो बेदखली योग्य है। सिवायचक (सरकारी) भूमि में से राजकीय संस्था को भूमि का आंवटन, आंवटन नियमो के अनुसार किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा सिवाय चक काबिल काश्त बंजड जोहड़ मे से भूमि आंवटन करने में कोई विधिक अनियमितता नही की है।

यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 96 के आवेदन एवं धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। विवादित भूमि से अपीलांट का हित किस प्रकार प्रभावित होता है यह स्पष्ट करने में अपीलांट असफल रहा है।

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर